न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 125/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022/401

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
अशोककुमार पुत्र चन्दपालजी जाति जाटव निवासी शाहपुर तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद राज्य उतरप्रदेश हाल—अग्रवाल कोलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1. चूनाराम पुत्र रावता 2. जमना पत्नी प्रतापराम 3. तीजोदेवी पुत्री प्रतापराम 4. पूनमाराम पुत्र प्रतापराम 5. मुकेशकुमार पुत्र प्रतापराम 6. मंगलाराम पुत्र रावता 7. रूगाराम पुत्र रावता 8. हिमताराम पुत्र प्रतापराम 9. हीरादेवी पुत्री प्रतापराम जाति मेधवाल निवासी आकड़ली तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1.श्री लाधूराम चौधरी, अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

निर्णय

दिनांक 08.8.24

1. संक्षिप्त में वाद—पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 256 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टयर भूमि वादी की काश्त एवं कब्जाशुदा भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 6,7 एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 5 व 8,9 के पति/पिता प्रतापराम से जरिए विक्रय—पत्र दिनांक 17.5.2011 को खरीद की गई थी तथा वक्त खरीद से आदिनांक वादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा—काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा विक्रय—पत्र की प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तरकरण भरने के लिए दी गई,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा वादी के पक्ष में नामान्तकरण नहीं भरा गया। इसी दौराने प्रतापराम के फोत होने पर फौतदगी नामान्तकरण उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 8,9 के पक्ष मे भर दिया,जिसके प्रतिवादी हकदार भी नहीं है। प्रतिवादी के वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि यथावत होने के कारण वादी की खरीदशुदा भूमि में दखलदान्जी की जा रही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी की खातेदारी विलोपित करते हुए वादी को खातेदार घोषित करवानें हेतु वाद पेश किया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण विवाद के बिन्दू निहित नहीं होने से वादी का वाद–पत्र में वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में PW-01 अशोककुमार के बयानात हुए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 मुख्त्यारनामा जो अशोककुमार पुत्र चन्दपाल को दिया गया की प्रति,प्रदर्श–2 बेचाननामा दिनांक 17.5.2011 की प्रति व प्रदर्श–3 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी एवं प्रदर्श–4 खसरा संख्या 256 की नक्शा प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4. हमनें वादी अधिवक्ता की बहस सुनी। वक्त बहस अधिवक्ता वादी नें निवेदन किया कि ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 256 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टयर भूमि वादी की काश्त एवं कब्जाशुदा भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 6,7 एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 5 व 8,9 के पति/पिता प्रतापराम से जरिए विक्रय–पत्र दिनांक 17.5.2011 को खरीद की थी तथा वक्त खरीद से आदिनांक वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा विक्रय–पत्र की प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तकरण भरने के लिए दी गई तथा हल्का पटवारी द्वारा वादी को भरोसा दिया कि विक्रय–पत्र के अनुरूप वादी के पक्ष में नामान्तकरण भरा जावेगा। वादी द्वारा हल्का पटवारी के आश्वासन पर विश्वास कर लिया कि वादी के पक्ष में नामान्तकरण भर दिया होगा। अभी हाल में ही वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी देखने का काम पड़ा,तो वादी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि में वादी के पक्ष में नामान्तकरण नहीं भरा गया। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी की प्रविष्टि पूर्व की भांति यथावत चली आ रही है। वादी द्वारा प्रतिवादी को बेचानपत्र के अनुसार वादी के पक्ष में नामान्तकरण भरवानें का कहां गया,तो प्रतिवादी पक्ष द्वारा आना–कानी की गई तथा वादी को धमकी दी गई कि वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल कर दिया जावेगा। ऐसा करने का प्रतिवादी को कोई हक हकूक नहीं है। इसी दौराने प्रतापराम के फोत होने पर फौतगी नामान्तकरण [illegible] वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 8,9 के पक्ष मे भर दिया गया,जिससे प्रतिवादी [illegible] लेकिन वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा खरीद होने के उपरांत भी आदिनांक राजस्व रे[illegible] (जमाबंदी) में वादी का नाम इन्द्राज नहीं हो पा रहा है। अतः में निवेदन किया कि वादी [illegible] वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 256 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी की प्रविष्टि को विलोपित करते हुए वादी की खातेदारी में घोषित की जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5. हमनें वादी अधिवक्ता की बहरा को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसके आधार पर स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्री सम्मन तलब किया गया था। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन के लिए वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात माना जाकर निर्णय किया जाना एकमात्र विकल्प है तथा साथ ही वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार है:–

<u>तनकी संख्या 1</u>–आया मौजा पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 256 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टयर भूमि वादी अपनी खातेदारी धोषित करवानें का हकदार है ?

(जिम्मे–वादी)

तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 अशोककुमार पुत्र भगवानदास के बयानात करवाई गए तथा दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से 4 प्रदर्शित करवाई गए। वादी अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस में मुख्य कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी की ओर से जरिए विक्रय–पत्र दिनांक 17.05.2011 को प्रतिवादी से खरीद कर दी गई थी तथा वक्त खरदी से आदिनांक वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन खरीदशुदा भूमि का बेचानपत्र के अनुरूप वादी के पक्ष में नामान्तकरण नहीं भरा गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 8,9 के पति/पिता प्रतापराम का देहान्त होने पर उनके वारिसान के पक्ष में नामान्तकरण भी पारित कर दिया गया। अतः प्रतिवादी का राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि विलोपित करते हुए विक्रय–पत्र दिनांक 17.05..2011 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में धोषित करते हुए रेकर्ड में नाम दायर किया जावें। उक्त कथन के समर्थन मे प्रदर्श–2 ए अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी अशोककुमार द्वारा प्रतिवादी से जरिए बेचान–पत्र दिनांक 17.05.2011 के द्वारा खरीद की गई थी। उक्त बेचानपत्र के आधार पर ही वादी के पक्ष में नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था,लेकिन तत्कालीन समय नामान्तकरण पारित नहीं होने के कारण आदिनांक राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में प्रतिवादी के नाम वादग्रस्त आराजी में इन्द्राज होते आ रहे है। जो कि विधि विरूद्व है,क्योकि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी बेचान करने के बाद उनके वादग्रस्त आराजी में हक हकूक समाप्त हो चुके है। राजस्व रेकर्ड में नाम विलोपित नहीं होने के कारण उसके अधिकार जीवित नहीं रह जाते है। इस कारण वादी वादग्रस्त आराजी अपनी खातेदारी में धोषित करवानें का अधिकार [illegible] वादी ने अपने साक्ष्य सबूतो से साबित भी किया है। इसके विपरीत प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्री [illegible] जारी किए गए थे,जो कि सम्मन सम्यक तामील–शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी को [illegible] पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षी[illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को वादी का वाद स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है,यदि आपति होती तो उजर–एतरराज पेश करते,लेकिन ऐसा प्रतिवादी पक्ष द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी अपना वाद स्वीकार किए जाने में सफल रहने के कारण तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर यह न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 को साबित करने में बखूखी सफल रहा है। अतः वादी के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 256 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी) में प्रतिवादी के नाम अंकित प्रविष्टि विलोपित करते हुए वादी के पक्ष में बेचान–पत्र दिनांक 17.05.2011 को मध्यनजर रखते हुए जांच करते हुए विधि में निहित प्रावधानों के तहत विधिनुसार राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में प्रविष्टि अंकित की जावें। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 08/8/24 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 125/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/401

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
अशोककुमार पुत्र चन्दपालजी जाति जाटव निवासी शाहपुर तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद राज्य उतरप्रदेश हाल–अग्रवाल कोलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.चूनाराम पुत्र रावता 2.जमना पत्नी प्रतापराम 3.तीजोदेवी पुत्री प्रतापराम 4.पूनमाराम पुत्र प्रतापराम 5.मुकेशकुमार पुत्र प्रतापराम 6. मंगलाराम पुत्र रावता 7. रूगाराम पुत्र रावता 8. हिमताराम पुत्र प्रतापराम 9. हीरादेवी पुत्री प्रतापराम जाति मेघवाल निवासी आकड़ली तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 10 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 125/2022

निर्णय दिनांक :–08.8.2024

वादी की ओर से श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 08.8.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 256 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी) में प्रतिवादी [illegible] विलोपित करते हुए वादी के पक्ष में बेचान–पत्र दिनांक 17.05.2011 को मध्यनजर [illegible] जांच करते हुए विधि में निहित प्रावधानों के तहत विधिनुसार राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में [illegible] अंकित की जावें। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:13 IST
Reason: SelfAttested

यह आज तारीख 08.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	—	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	—	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:13 IST
Reason: SelfAttested